Annexure-1

FORM-I
For linear Projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun
****

No....831/D.M. Dehradun

Dated..14.3.15...

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA. for short) on the the forest land proposed to be diverted for non&forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that 2.02 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of A.R.T.O Office Rishikesh (Name of User agency) for Constuction of Dehradun Forest Division in Rishikesh Compatment no 3 Autometid testing lane (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdition of Bibiwala village(s) in Rishikesh tehsils.

It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for tke entire 2.02 hectares of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committiee are enclosed as annexure 1 annexure 2.

b. the diversion of forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3,(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

c. the proposal does not involе recognised right of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl:- As above

Signature

(Full name and offial seal of the District collector)

Annexure-II

FORM-I
(For Project other than linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun
****

No............/.......... Dehradun

Dated..14/3/15...

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 2.02 **hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of A.R.T.O Office Rishikesh (Name of User agency) Dehradun Forest Division in Rishikesh Compatment no 3 Autometid testing lane (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdition of Bibiwala village(s) in Rishikesh tehsils.

It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for tke entire 2.02 **hectares** of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committiee are enclosed as annexure 1 annexure 2

b. the proposal for sach diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA

c. the each of concerned Gram Sabh(s), has certified that all formalities/prpceses under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Bibiwala, village.

d. the discussion and decision on sach proposal had taken pace only when there was quorum or minimum 50% of the members of Gram Sabhas have given their consent to it.

e. the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Grama sabhas have given their consent to it.

f. the rights of primtive Tribal Groups and pre-Agariculture Communities where application have been Specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl:- As above

Signature

(Full name and offial seal of the District collector)

कार्यालय
ग्राम पंचायत ऋषिकेश
तहसील—ऋषिकेश, जिला—देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में बीबीवाला बाईपास मार्ग ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन व ऑटो मेटेड ड्राइंविग ट्रैक्स की स्थापना हेतु (2.02है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल / समाज भूमि, – है0 नाप भूमि) वन भूमि का परिवहन विभाग ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ऋषिकेश द्वारा ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में परिवहन विभाग ऋषिकेश द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम ऋषिकेश के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि परिवहन विभाग ऋषिकेश को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (2.02है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल / समाज भूमि, – है0 नाप भूमि) वनभूमि परिवहन विभाग ऋषिकेश को बीबीवाला बाईपास मार्ग ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन व ऑटो मेटेड ड्राइंविग ट्रैक्स की स्थापना हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ऋषिकेश
वि0ख0 डोईवाला जनपद देहरादून

प्रधान ग्राम पंचायत ऋषिकेश
श्रीमती प्रमिला असवाल
दिनांक 11/02/2015
विकासखण्ड-डोईवाला, देहरादून

(3)

गग्रम सभा बीबीवाला कक्ष संख्या–3

क्रम संख्या	वरिष्ठ नागरिको / सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती सावित्री देवी	Savitri
2	मेजर सिंह थापा	[illegible]
3	मान सिंह	[illegible]
4	प्यारे लाल प्रजापति	[illegible]
5	सोनू शर्मा	Sonu
6	श्रीमती गीता कैमत	[illegible]
7	सुरेश शर्मा	Suresh
8	दिनेश कुमार	दिनेश कुमार
9	प्रदीप कुमार	[illegible]
10	श्याम सुन्दर	Shyam Sundar
11	दिनेश शर्मा	[illegible]
12	राम सिंह	राम सिंह
13	सुनील उनियाल	सुनील
14	उत्तम रावत	उत्तम
15	विशाल	विशाल
16	दलवीर रावत	दलवीर
17	राकेश उनियाल	[illegible]
18	राजेश डोभाल	राजेश
19	प्यारे मोहन	प्यारे मोहन
20	भगवान सिंह नेगी	[illegible]

कार्यालय – जिलाधिकारी देहरादून

पत्रांक 227 /1C   दिनांक देहरादून 10 ~~फरवरी~~ मार्च, 2015

जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006(समय समय पर यथा संशोधित) के धारा–6(5) तथा पर्यावरण एवं वन मत्रांलय भारत सरकार के पत्र सख्या 11–9/98–FC(pt) दिनांक 03 अगस्त 2009 द्वारा जारी दिशा– निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 10.3.15 में जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे । इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी के Right व Settlement के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विर्मश किया गया।

- जिला देहरादून के अर्न्तगत ऋषिकेश रेंज कक्ष संख्या– 3 में परिवहन विभाग की आटोमेटिड टेस्टिग लेन की स्थापना हेतु 2.02 हैक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा 6(1) के अनुसार ग्राम पंचायत ऋषिकेश के ग्राम स्तरिय समिति द्वारा बैठक में दिनांक 11.02.2015 को विचार विर्मश कर नियमानुसार निस्तारण किया गया। उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा6(3) के प्राविधान अनुसार उपजिलाधिकारी ऋषिकेश की अध्यक्षता में गठित उपजिला स्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिंनाक 13.02.2015 को विचार विर्मश कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त समितियो के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वन भूमि हस्तान्तरण में यह पाया गया कि देहरादून वन प्रभाग की ऋषिकेश रेंज के आरक्षित वन ऋषिकेश कक्ष सं0–3 में चिन्हित भू–भाग पर वन अधिकार हेतु किसी अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का कोई Rights व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नही हैं। अतः वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं है।

बैठक में जिलास्तरीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन किया गया।

(राम अवतार सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

(सुशान्त पटनायक)
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि :– संभागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश को सूचनार्थ प्रेषित।

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी
देहरादून।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN. (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act. (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ravi Nath Raman I.A.S. deputy commissioner Dehradun on date 10.03.2015 at time 4.00 p.m. at Dehradun in which application claiming rights in Bibiwala bypass Road Rishikesh in Autometid testing lane area measuring 2.02 hect. For the construction of in Dehradun Forest Division in Rishikesh Compatment no 3Autometid testing lane of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Rishikesh sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Dehradun.

Dated – 10..03..2015

Deputy Commissioner-cum-chairman

District Level Committee

परियोजना का नाम:—देहरादून वन प्रभाग के अन्तगत ऋषिकेश कक्ष स0—03 में परिवहन विभाग की ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना।

प्रपत्र—23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश

उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत बीबीवाला कक्ष सं0—03 में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन (2.02 हे0 आरक्षित वन भूमि) वन भूमि का प्रयोक्ता एजेन्सी परिवहन विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ऋषिकेश) ऋषिकेश की दिनांक 13.02.2015 का कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री संतोष कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1—	श्री संतोष कुमार पाण्डेय, उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश, देहरादून	अध्यक्ष
2--	श्री भरत सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश वन प्रभाग	सदस्य
3--	श्री सुरेन्द्र सिंह मनवाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी डोईवाला	सदस्य / सचिव
4—	श्रीमती सरोजनी थपलियाल, बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु (2.02 हे0 आरक्षित वन भूमि) वन भूमि का परिवहन विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना / सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुसंशा की गई

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापान हेतु (2.02 हे0 वन भूमि) वन भूमि का परिवहन विभाग, ऋषिकेश देहरादून को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—ऋषिकेश उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड, 16/2/2015

सभापति
क्षेत्र पंचायत
ऋषिकेश–प्रथम (??)
... डोईवाला (देहरादून)